

- 1-समस्त शाखा/वरि०प्रबन्धक,
- 2-समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०
उत्तर प्रदेश।

विषय:-बैंक के वसूली सम्बन्धी प्रकरणों में नीलामी द्वारा विक्रय प्रक्रिया, बन्धकग्रस्त विक्रीत भूमि प्रकरणों में वसूली प्रक्रिया एवं मृतक बकायेदार के प्रकरण में वसूली प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

अवगत है कि नीलामी कार्यवाही के सम्बन्ध में परिपत्र सं० सी- 45 वसूली/नीलामी प्रक्रिया/2022-23 दिनांक 25.01.23 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। साथ ही भूमि विक्रय प्रकरणों में बैंक परिपत्र सं० सी-62 दिनांक 03.11.2017 द्वारा विस्तृत निर्देश व समय-समय पर अन्य परिपत्र निर्गत किये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त मृतक बकायेदारों के प्रकरण में वसूली किये जाने हेतु समय-समय पर निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त निर्गत निर्देशों के क्रम में बैंक के वसूली सम्बन्धी प्रकरणों में नीलामी द्वारा विक्रय प्रक्रिया, बन्धकग्रस्त विक्रीत भूमि प्रकरणों में वसूली प्रक्रिया एवं मृतक बकायेदार के प्रकरण में वसूली प्रक्रिया के सम्बन्ध में अधोलिखित सरल भाषा में की जाने वाली कार्यवाहियों एवं निर्देशों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

1. नीलामी द्वारा विक्रय की प्रक्रिया

उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 16 में बन्धकग्रस्त भूमि के नीलामी का प्रावधान है तथा उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक नियमावली, 1971 के नियम 23 से 43 में नीलामी द्वारा विक्रय की पूर्ण प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। (विस्तृत जानकारी हेतु बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 16 एवं नियमावली, 1971 के नियम 23 से 43 का अवलोकन करें)

उक्त का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

(A) नियम-24 की नोटिस-(निर्धारित प्रारूप पर)

- शाखा प्रबन्धक/भूमि विक्रय अधिकारी द्वारा प्रेषित की जायेगी।
- नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की जायेगी।
- नोटिस नीलाम की जाने वाली बन्धक भूमि के बन्धककर्ता (ऋणी सदस्य) एवं समस्त हितधारियों को अलग-अलग प्रेषित की जायेगी।
- ऋणी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके समस्त वारिसान को अलग-अलग नोटिसें प्रेषित की जायेंगी, जिन पर ऋणी सदस्य के नाम के सम्मुख "मृतक" एवं वारिसान के नाम के सम्मुख "मृतक वारिस" अंकित किया जायेगा।
- नोटिस में, नोटिस तामील करने में उपगत व्यय सहित बैंक द्वारा दावा की गयी धनराशि तथा विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण अंकित किया जायेगा।
- नोटिस में भुगतान हेतु 01 माह का समय प्रदान किया जायेगा, (नोटिस तामील की तिथि से)

(B) नियम-26 की नोटिस-(निर्धारित प्रारूप पर)

- शाखाओं के लिये जिला स्तरीय शाखा के वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा एवं जिला स्तरीय शाखाओं के लिये क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा जारी की जायेगी।
- नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की जायेगी।
- जिन लोगो को नियम 24 की नोटिस प्रेषित की गयी है, उन्हीं लोगो को नियम 26 की नोटिस प्रेषित की जायेगी।
- नोटिस के द्वारा बन्धकग्रस्त सम्पत्ति के विक्रय के सम्बन्ध में आपत्तियों आमंत्रित की जायेगी तथा इस हेतु 01 माह से अधिक का समय नहीं दिया जायेगा। (बैंक परिपत्रों द्वारा 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है)

(C) नियम-28 की नोटिस (निर्धारित प्रारूप पर)

- नियम-26 की नोटिस के बाद प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण होने अथवा कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर नियम-28 के अन्तर्गत विक्रय अधिकारी को बन्धकग्रस्त सम्पत्ति के विक्रय का प्राधिकार दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में ऋणी सदस्य/हितधारियों को नोटिस प्रेषित किया जायेगा।
- शाखाओं के लिए जिला स्तरीय शाखा के वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा एवं जिला स्तरीय शाखाओं के लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा नोटिस जारी की जायेगी।
- नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की जायेगी।
- जिन लोगों को नियम-26 की नोटिस प्रेषित की गयी है, उन्हीं को नियम-28 की नोटिस प्रेषित की जायेगी।

(D) नीलामी प्रकाशन (नियम 29) (निर्धारित प्रारूप)

- नियम 28 के अन्तर्गत विक्रय का प्राधिकार प्राप्त होने के उपरान्त बन्धक भूमि के विक्रय हेतु नीलामी प्रकाशन कराया जायेगा।
- प्रकाशन विक्रय हेतु निर्धारित तिथि से 15 दिन पूर्व स्थानीय समाचार पत्र में पूरे ब्यौरे के साथ कराया जायेगा।
- ऋणी सदस्य के मृतक हो जाने पर नीलामी प्रकाशन में बकायेदार/ऋणी सदस्य को "मृतक" अंकित करते हुए उसके समस्त वारिसान का नाम भी "मृतक वारिस" अंकित करते हुए प्रकाशित कराया जायेगा।
- विक्रीत भूमि प्रकरणों में बकायेदार के नाम के साथ-साथ भूमि क्रेता का नाम भी नीलामी प्रकाशन में प्रकाशित कराया जायेगा।
- नीलामी के द्वारा विक्रय, नियम-24 की नोटिस तामील होने की तिथि के 03 महीने बाद किया जायेगा।
- नीलामी द्वारा विक्रय की घोषणा बन्धकग्रस्त सम्पत्ति के किसी प्रमुख भाग पर एवं निम्नलिखित कार्यालयों में से दो या उससे अधिक कार्यालयों पर चस्पा करके अधिसूचित की जायेगी—
 - (1) सम्बन्धित खण्ड विकास कार्यालय
 - (2) तहसील
 - (3) बैंक का शाखा कार्यालय
 - (4) जिला सहायक निबन्धक कार्यालय।
- नीलामी की घोषणा की नोटिस बकायेदार को भी दी जायेगी।
- विक्रय के दिनांक से दो दिन पहले एवं विक्रय के दिन समस्त ब्यौरे के साथ विक्रय की घोषणा डुग्गी पीटकर की जायेगी।

(E) नीलामी द्वारा विक्रय—

- नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति का बारह वर्ष पूर्व का भार-ग्रस्तता प्रमाण पत्र (Encumbrance Certificate) लिया जायेगा।
- विक्रय सार्वजनिक नीलामी द्वारा सबसे ऊँची बोली बोलने वाले को किया जायेगा।
- विक्रय अधिकारी स्थगन के कारणों को अभिलिखित करते हुए नीलामी को किसी अन्य निर्दिष्ट दिन और समय के लिए स्थगित कर सकता है।
- यदि विक्रय सात दिन से अधिक स्थगित करना है तो बन्धककर्ता से उद्घोषणा न करने की लिखित सहमति ली जायेगी।
- यदि बन्धककर्ता द्वारा सहमति न दी जाये तब पुनः उद्घोषणा (नीलामी प्रकाशन) किया जायेगा।
- यदि नीलामी की जाती है तो सबसे ऊँची बोली बोलने वाले से नीलामी की धनराशि का 25 प्रतिशत तुरन्त जमा कराया जायेगा।

- नीलामी क्रेता द्वारा शेष 75 प्रतिशत धनराशि 15 दिन के भीतर शाखा पर जमा की जायेगी। 75 प्रतिशत धनराशि जमा करने की अवधि को मण्डल द्वारा 07 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।
 - यदि सबसे ऊँची बोली बोलने वाला 25 प्रतिशत जमा न कर सके, तो द्वितीय उच्चतम बोली स्वीकार की जायेगी।
 - द्वितीय उच्चतम बोली की धनराशि उच्चतम बोली के 95 प्रतिशत से कम या बैंक द्वारा दावा की गयी धनराशि (ब्याज सहित) से कम न हो।
 - यदि प्रथम उच्चतम बोली वाला एवं द्वितीय उच्चतम बोली वाला 25 प्रतिशत जमा न कर सके तो सम्पत्ति को तत्काल पुनः नीलाम किया जायेगा।
 - यदि नीलामी क्रेता 25 प्रतिशत जमा करने के बाद शेष धनराशि जमा नहीं करता तो सम्पत्ति एवं धनराशि पर नीलामी क्रेता का दावा जब्त हो जायेगा। जब्त की गयी धनराशि से समस्त खर्च काटकर शेष धनराशि बैंक को दे दी जायेगी।
 - निर्धारित अवधि में धनराशि जमा न होने पर दोबारा बिक्री निर्धारित रीति तथा अवधि के लिए उद्घोषणा (नीलामी प्रकाशन) जारी करने के पश्चात की जायेगी।
 - यदि बिक्री के पूर्व बन्धककर्ता या हितबद्ध व्यक्ति दावा की गयी समस्त धनराशि जमा कर देता है तो विक्रय अधिकारी बिक्री सम्बन्धी कार्यवाही नहीं करेगा।
 - यदि बन्धक ग्रस्त सम्पत्ति बेच दी गई है तो सम्पत्ति में हितबद्ध व्यक्ति निम्न प्रकार से धनराशि जमा कर विक्रय को रद्द करने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है—
 - (1) क्रेता द्वारा जमा की गई वास्तविक धनराशि के 5 प्रतिशत के बराबर धनराशि जमा करेगा।
 - (2) बिक्री की उद्घोषणा में निर्दिष्ट समस्त धनराशि खर्चों सहित जमा करेगा।
 - (3) बिक्री को रद्द करने के लिए बिक्री के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिया जायेगा।
 - विक्रय अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र को शाखा प्रबन्ध समिति को अग्रसारित किये जाने पर शाखा प्रबन्ध समिति द्वारा विक्रय को रद्द कर दिया जायेगा।
 - विक्रय रद्द होने पर नीलामी क्रेता को उसके द्वारा जमा धनराशि तथा उक्त धनराशि की 5 प्रतिशत धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- (F) बिक्री का पूर्ण होना—**
- बिक्री के दिनांक से तीस दिन बाद अथवा विक्रय रद्द किये जाने के प्रार्थना पत्र के निरस्त होने के बाद मण्डल द्वारा विक्रय की पुष्टि कर दी जायेगी।
 - जब विक्रय की पुष्टि न हो तो भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाता के लिए प्रचलित ब्याज की दर से ब्याज सहित नीलामी क्रेता को उसके द्वारा जमा धनराशि वापस की जायेगी।
 - यदि क्रेता की त्रुटि के कारण पुष्टि नहीं होती तो उसे कोई भी ब्याज नहीं दिया जायेगा।
 - नीलामी द्वारा प्राप्त कय धन दावे की धनराशि से अधिक होने पर बकायेदार को अतिरिक्त धनराशि भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाता के लिए प्रचलित ब्याज की दर से ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।
 - बिक्री की समाप्ति पर विक्रय अधिकारी प्रपत्र 3 में बिक्री के परिणाम के सम्बन्ध में निबन्धक तथा बैंक को प्रतिवेदन भेजेगा।
 - प्रधान कार्यालय द्वारा विक्रय की पुष्टि किये जाने के उपरान्त, बिक्री पूर्ण हो जाने पर, विक्रय अधिकारी प्रपत्र 4 में विक्रय प्रमाण पत्र निर्गत करेगा।
 - इस सम्बन्ध में नीलामी क्रेता द्वारा एक प्रार्थनापत्र के साथ आवश्यक जनरल स्टैम्प बैंक को उपलब्ध कराये जायेंगे।

- विक्रय प्रमाणपत्र की मूलप्रति क्रेता को दी जायेगी तथा एक प्रति सब रजिस्टार (रजिस्ट्रेशन) को अग्रसारित की जायेगी तथा सब रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रेशन) द्वारा उक्त विक्रय पत्र को नियमानुसार पंजीकृत किया जायेगा।


2. बन्धकग्रस्त भूमि के विक्रय प्रकरणों में बैंक द्वारा की जाने वाली विधिक कार्यवाहियाँ

- उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 22 में ऋणी सदस्य द्वारा लिये गये ऋण की सम्पूर्ण धनराशि की ब्याज सहित अदायगी किये जाने तक ऋण की प्रतिभूति के रूप में बैंक पक्ष में बन्धक भूमि/सम्पत्ति को विक्रय किये जाने या अन्यथा किसी प्रकार से अन्तरित किये जाने पर प्रतिबन्ध है।
 - धारा-22 में यह भी उल्लेख है कि यदि उक्त धारा का उल्लंघन करते हुए कोई संव्यवहार किया जाता है तो वह शून्य (Void) होगा।
 - यदि ऋणी सदस्य द्वारा ऋण की ब्याज सहित पूर्ण अदायगी किये बगैर बन्धकग्रस्त भूमि को विक्रय कर दिया जाता है तो ऋणी सदस्य एवं भूमि क्रेता के मध्य निष्पादित विक्रय पत्र (बैनामा) बैंक अधिनियम 1964 की धारा 22 के उक्त प्रावधानों के अनुसार शून्य होगा।
 - विक्रीत भूमि प्रकरणों में बैंक स्तर से निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की जा सकती हैं।
- (A) बैनामे को निरस्त कराने की कार्यवाही
- विक्रीत भूमि प्रकरणों में ऋणी सदस्य (भूमि विक्रेता) एवं भूमि क्रेता के मध्य निष्पादित विक्रय पत्र (Sale deed) को निरस्त कराने हेतु बैंक द्वारा क्षेत्राधिकार प्राप्त सिविल न्यायालय के समक्ष सिविल वाद (Civil Suit for Cancellation of Sale deed) दायर करने की कार्यवाही की जायेगी।
 - उक्त वाद क्षेत्रीय प्रबन्धक से अनुमति प्राप्त कर बैंक के मुकदमों सम्बन्धी जिला स्तरीय अधिवक्ता पैनल के किसी अधिवक्ता के माध्यम से दायर किया जायेगा।
 - बैंक द्वारा दायर किये जाने वाले उक्त वाद में बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 22 के प्रावधानों को उद्धरित करते हुए यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि क्रेता विक्रेता के मध्य निष्पादित विक्रय पत्र शून्य है।
 - उक्त वाद दायर करने हेतु Court Fees Act, 1870 के प्रावधानों के अनुसार बैंक द्वारा विक्रीत भूमि के मूल्य (Value) के 1/5 पर 7.5 प्रतिशत कोर्ट फीस देय होगी। (बैनामे के सम्बन्ध में बैंक के तृतीय पक्ष होने के कारण कोर्ट फीस भूमि के कुल मूल्य पर देय न होकर 1/5 मूल्य (Value) पर देय होगी।) Court Fees Act, 1870 की धारा 7 (IVक)(2)
 - Indian Limitation Act, 1963 के प्रावधानों के अनुसार बैनामे को निरस्त कराने सम्बन्धी उक्त सिविल वाद, बैंक को बैनामे/भूमि विक्रय के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होने की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर ही दायर किया जा सकता है। Indian Limitation Act, 1963 की अनुसूची का Article 59
 - उक्त वाद दायर करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि बन्धकग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में बैनामा निष्पादित किये जाने की तिथि से पूर्व उक्त भूमि सब रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रेशन) कार्यालय के अभिलेखों में बैंक के पक्ष में बन्धक दर्ज हो।
 - यदि सब रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रेशन) कार्यालय के अभिलेखों में विक्रीत भूमि बैंक के पक्ष में बन्धक दर्ज नहीं है अथवा बैनामा निष्पादित किये जाने की तिथि के पश्चात बन्धक दर्ज हुयी है तो बैंक द्वारा बैनामे को निरस्त कराने सम्बन्धी वाद दायर नहीं किया जा सकता है।
 - बैनामे को निरस्त कराने हेतु दायर किये जाने वाले उक्त वाद के लिए पैनल अधिवक्ता को जनरल रूल्स सिविल में वाद के मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित दरों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।
- (B) दाखिल खारिज को निरस्त कराने की कार्यवाही
- ऋणी सदस्य एवं भूमि क्रेता के मध्य निष्पादित विक्रयपत्र के कम में सम्बन्धित खतौनी पर भूमि क्रेता के पक्ष में किये गये नामान्तरण (दाखिल खारिज) आदेश को निरस्त कराने हेतु

- बैंक द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित राजस्व न्यायालय में आपत्ति/प्रार्थनापत्र दाखिल किया जायेगा।
- बैंक द्वारा दाखिल किये जाने वाले उक्त प्रार्थनापत्र में भी बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 22 के प्रावधानों को उद्धरित करते हुए यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि क्रेता विक्रेता के मध्य निष्पादित विक्रय पत्र शून्य है।
 - उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 209 के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रार्थनापत्र राजस्व न्यायालय द्वारा नामान्तरण आदेश पारित किये जाने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर दाखिल किया जा सकता है।
 - नामान्तरण आदेश के सम्बन्ध में विलम्ब से जानकारी प्राप्त होने पर, उक्त प्रार्थनापत्र के साथ **Indian Limitation Act, 1963** की धारा-5 के प्रावधानों के अन्तर्गत Delay Condonation Application दाखिल कर, विलम्ब हेतु समुचित कारण दर्शाते हुए विलम्ब को क्षमा कराया जा सकता है।
 - उक्त प्रार्थनापत्र दाखिल करने से पूर्व भी यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि बन्धकग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में बैनामा निष्पादित किये जाने की तिथि से पूर्व उक्त भूमि सब रजिस्ट्रार(रजिस्ट्रेशन) कार्यालय के अभिलेखों में बैंक के पक्ष में बन्धक दर्ज हो।
 - यदि सब रजिस्ट्रार(रजिस्ट्रेशन) कार्यालय के अभिलेखों में विक्रीत भूमि बैंक के पक्ष में बन्धक दर्ज नहीं है अथवा बैनामा निष्पादित किये जाने की तिथि के पश्चात बन्धक दर्ज हुयी है तो बैंक द्वारा नामान्तरण को निरस्त कराने सम्बन्धी कार्यवाही नहीं की जा सकती है।
 - उक्त प्रार्थनापत्र क्षेत्रीय प्रबन्धक से अनुमति प्राप्त कर, सम्बन्धित शाखा के एन0ई0सी0 पैनल के अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल किया जायेगा।
 - तहसीलदार द्वारा, नामान्तरण आदेश निरस्त कराने हेतु बैंक द्वारा दाखिल प्रार्थनापत्र को खारिज किये जाने पर बैंक प्रकरण में उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35 के अन्तर्गत एस0डी0एम0 न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।
 - नामान्तरण आदेश को निरस्त कराने हेतु की जाने वाली उक्त कार्यवाही के लिए पैनल अधिवक्ता को बैंक के परिपत्र संख्या सी-9/विधि/भूमि विक्रय/2022-23 दिनांक 31.05.2022 के द्वारा निर्धारित रू 750.00 पारिश्रमिक एवं वास्तविक विविध व्यय का भुगतान किया जायेगा।
- (C) विक्रीत भूमि के नीलामी की कार्यवाही
- बैंक ऋण की अदायगी किये बगैर बैंक पक्ष में बन्धक भूमि के विक्रय हो जाने या अन्यथा अन्तरित हो जाने के उपरान्त भी बन्धकग्रस्त भूमि बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 12 सपठित धारा 22 के प्रावधानों के अन्तर्गत बैंक में निहित रहती है।
 - ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय के उपरान्त भी बैंक को, बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 16 एवं नियमावली, 1971 के नियम 23 से 43 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार बन्धकग्रस्त भूमि को नीलामी द्वारा विक्रय करने का अधिकार प्राप्त है।
 - बन्धकग्रस्त भूमि के कई बार विक्रय हो जाने के उपरान्त भी बैंक का उक्त अधिकार यथावत् बना रहेगा।
 - बैंक अधिनियम, 1964 एवं नियमावली, 1971 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार बैंक द्वारा ऋणी सदस्य/भूमि विक्रेता एवं भूमि क्रेता को अलग-अलग नोटिसें प्रेषित की जायेंगी।
 - यदि ऋणी सदस्य द्वारा भूमि एक से अधिक व्यक्तियों को विक्रय की गयी है तो सभी क्रेताओं को नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अलग-अलग नोटिसें प्रेषित की जायेंगी।
 - नियमावली, 1971 के नियम-29 के अन्तर्गत कराये जाने वाले नीलामी प्रकाशन में भी ऋणी सदस्य/बकायेदार के साथ-साथ भूमि क्रेता का भी नाम अंकित किया जायेगा।


3. ऋणी सदस्य / बकायेदार की मृत्यु होने पर बैंक द्वारा की जाने वाली विधिक कार्यवाहियाँ

- ऋण वितरण के समय बैंक एवं ऋणी सदस्य के मध्य निष्पादित बन्धकपत्र के बिन्दु संख्या-05 में इस शर्त का उल्लेख है कि ऋण की अदायगी न होने पर बैंक को बन्धकग्रस्त सम्पत्ति को नीलाम/विक्रय करके ऋण को वसूल करने का अधिकार होगा।
 - बन्धकपत्र के बिन्दु संख्या-06 में इस शर्त का उल्लेख है कि ऋणी सदस्य/बन्धककर्ता के वारिसान पर भी बन्धकपत्र की शर्तें ऋण की अदायगी तक लागू होंगी। ऋणी सदस्य/बकायेदार के मृतक होने पर बैंक स्तर से निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की जा सकती हैं—
 - बैंक उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 16 के प्रावधानों एवं नियमावली, 1971 के नियम संख्या 23 से 43 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मृतक बकायेदार द्वारा बैंक पक्ष में बन्धक भूमि के नीलामी की कार्यवाही कर सकता है।
 - उक्त कार्यवाही में मृतक बकायेदार के समस्त विधिक वारिसान को पृथक-पृथक नियम-24, 26 एवं 28 की नोटिसें प्रेषित की जायेंगी।
 - प्रत्येक नोटिस में मृतक बकायेदार का नाम अंकित करते हुए उसके नाम के सम्मुख "मृतक" अंकित किया जायेगा तथा बकायेदार के वारिसान का नाम मय वल्दियत अंकित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्पष्ट रूप से "मृतक वारिस" अंकित किया जायेगा।
 - नीलामी प्रकाशन में भी मृतक बकायेदार एवं वारिसान दोनों का नाम उक्तानुसार "मृतक" एवं "मृतक वारिस" अंकित करते हुए प्रकाशित कराया जायेगा।
 - मृतक बकायेदार के प्रकरण में बकायेदार के वारिसान के विरुद्ध उ0प्र0सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 95 क के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा सकती है।
 - धारा 95 क के अन्तर्गत निर्गत वसूली प्रमाणपत्र के धारा 92 के अन्तर्गत निष्पादन में मृतक वारिसान के गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।
 - वारिसान को मृतक बकायेदार से उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति की कुर्की एवं नीलामी की कार्यवाही की जा सकती है, किन्तु वारिसान की निजी सम्पत्ति (जो उत्तराधिकार में प्राप्त न हुई हो) की कुर्की एवं नीलामी नहीं की जा सकती है।
- उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुये बैंक के वसूली सम्बन्धी प्रकरणों में नीलामी द्वारा विक्रय, बन्धकग्रस्त विक्रीत भूमि प्रकरणों में वसूली एवं मृतक बकायेदार के प्रकरण में वसूली के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करते हुये वसूली सुनिश्चित की जाय।


(शशि रंजन कुमार राव)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-समस्त योजनाधिकारी, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0 लखनऊ।
- 2-प्रबन्धक(आई0टी0सेल), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ को बैंक वेवसाईड पर अपलोड करने हेतु।
- 3-समस्त नोडल अधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि अपने मंडल में उक्तानुसार कार्यवाही सम्पन्न करायें।
- 4-प्राचार्य, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रशि0केन्द्र लखनऊ।


प्रबन्ध निदेशक